न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 25/2019
दायर दिनांकः 02.12.2019
निर्णय दिनांक 03.10.2025

—: अनवान :—

रणजीतसिंह पिता अमरसिंहजी जाति रावत, निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

— प्रार्थी/निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भीम
2. जसवन्तसिंह पिता रणजीतसिंह जाति रावत, निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 03 दिनांक 20.05.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम से व्यथित होकर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित
3— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 3 दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम के मोहल्ला धर्मेशपुरी की आराजी नम्बर 2318/1 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता नाप 45 फीट, पश्चिम में जेठुसिंह व संतोषदेवी का मकान, नाप 45 फीट, उत्तर में आम रास्ता नाप 50 फीट व दक्षिण में नेहपालसिंह पिता रणजीतसिंह का मकान नाप 50 फीट का जारी किया गया है। जिसे निरस्त कराने के लिये यह निगरानी याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत हैं कि वादग्रस्त मकान व दुकानों का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है। वह अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर निगराकार के मकान व दुकानों का पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरीत हैं। निगराकार के मकान व दुकानों का पट्टा जो जारी किया गया है, उसे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। मकान व दुकानों पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का है, ऐसी स्थिति में निगराकार की सम्पत्ति के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना विधि के विपरीत है। निगराकार द्वारा उक्त मकान व दुकानों को रामसिंह पिता लुम्बसिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी तहसील भीम जिला राजसमन्द से दिनांक 14.12.2004 को 3,50,501/— रूपये में क्रय किया है एवं कब्जा प्राप्त किया है तब से इस पर कब्जा आधिपत्य प्रार्थी/निगराकार का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कब्जेशुदा एवं खरीदशुदा मकान व दुकानों पर पट्टा ग्राम पंचायत को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित पड़ौसों के मध्य का मकान व दुकानें निगराकार का है तथा विपक्षी संख्या 2 निगराकार का पुत्र है जिसने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा से यह पट्टा जारी करवाया है। निगराकार सेना में कार्यरत होने के दौरान अपनी गाढ़ी कमाई से यह मकान क्रय किया था इस प्रकार उक्त

पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी रूप से पुरानी तारीख में ग्राम पंचायत से की गयी है। विपक्षी संख्या 2 का उक्त मकान व दुकानों पर न तो कब्जा आधिपत्य रहा है न ही विपक्षी संख्या 2 का हक अधिकार इस निहित है। प्रार्थी ने उक्त मकान व दुकानों को रामसिंह से वर्ष 2004 में ही क्रय कर लिया था तब से प्रार्थी इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। उक्त पट्टे की जानकारी निगराकार को विपक्षी द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को कब्जा हटाने के लिये धमकी देकर बेदखल होने के लिये कहा तथा निगराकार की पत्नी के साथ दिनांक 15.11.2019 को मारपीट की जिस पर पुलिस थाना भीम में विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण संख्या 629/2019 दर्ज कराया गया तब उक्त पट्टे की जानकारी हुई। जानकारी होते ही उक्त दस्तावेज की नकल प्राप्त कर शीघ्र निगरानी तैयार करा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो जानकारी से अन्दर मियाद है अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा विलेख संख्या 03 दिनांक 20.05.2019 को अपास्त फरमाया जावे और प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के निर्देश फरमाये जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिती दी तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी किन्तु ग्राम पंचायत भीम ने पत्र प्रेषित कर अवगत कराया कि उक्त पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर NO INSTRACTION कर बहस नहीं करने हेतु निवेदन करने से अधिवक्ता निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम के मोहल्ला धर्मेशपुरी की आराजी नम्बर 2318/1 में एक पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। वादग्रस्त मकान व दुकानों का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है। वह अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर निगराकार के मकान व दुकानों का पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरीत हैं। निगराकार के मकान व दुकानों का पट्टा जो जारी किया गया है, उसे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। मकान व दुकानों पर कब्जा आधिपत्य निगराकार का है, ऐसी स्थिति में निगराकार की सम्पत्ति के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना विधि के विपरीत है। निगराकार द्वारा उक्त मकान व दुकानों को रामसिंह पिता लुम्बसिंह रावत निवासी धर्मेशपुरी तहसील भीम जिला राजसमन्द से दिनांक 14.12.2004 को 3,50,501/– रूपये में क्रय किया है एवं कब्जा प्राप्त किया है तब से इस पर कब्जा आधिपत्य प्रार्थी/निगराकार का चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कब्जेशुदा एवं खरीदशुदा मकान व दुकानों पर पट्टा ग्राम पंचायत को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 निगराकार का पुत्र है जिसने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा से यह पट्टा जारी करवाया है। निगराकार सेना में कार्यरत होने के दौरान अपनी गाढ़ी कमाई से यह मकान क्रय किया था इस प्रकार उक्त पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी रूप से पुरानी तारीख में ग्राम पंचायत से की गयी है। विपक्षी संख्या 2 का उक्त मकान व दुकानों पर न तो कब्जा आधिपत्य रहा है न ही विपक्षी संख्या 2 का हक अधिकार इस निहित है। प्रार्थी ने उक्त मकान व दुकानों को रामसिंह से वर्ष 2004 में ही क्रय कर लिया था तब से प्रार्थी इस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा विलेख संख्या 03 दिनांक 20.05.2019 को अपास्त फरमाया जावे और प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने के निर्देश फरमाये जावे।

मैंने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। विवादित पट्टा संख्या 3 जो की ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 20.05.2019 को जारी किया गया। यह पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। जो निगराकार का पुत्र हैं। इसमें निगराकार का यह कथन है कि यह भूखण्ड उसके द्वारा श्री रामसिंह पुत्र लुंबसिंह से दिनांक 14.12.2004 को क्रय किया है तथा क्रय किया तब से उस पर मकान व दुकाने बनी हुई थी तो इस प्रकार से संपत्ति निगराकार की है। जिसका पट्टा उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत भीम से स्वयं प्राप्त कर लिया है जो कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत प्राप्त किया जाना अंकित किया गया है। इसमें इस पट्टे के बिन्दु संख्या 1 में यह लिखा हुआ है कि यह जो मकान बना हुआ है वह पचास वर्ष से अधिक पुराना है। तथा उसका घर पर कब्जा है। तो यह मकान 50 वर्ष से अधिक पुराना है। तो इसे निगराकार के पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 का नहीं माना जा सकता है। साथ ही निगराकार ने जो इकरारनामा प्रस्तुत किया है जो नोटेरी से तस्दीक है। इसके अनुसार यह सपत्ति उसके द्वारा श्री रामसिंह से क्रय किया जाना जाहिर हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली तलब करने पर उसके द्वारा यह अवगत कराया कि इस तरह की कोई पत्रावली पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है। साथ ही इस पट्टे पर यह कही अंकित नहीं किया गया है कि यदि प्रार्थी से इस पट्टे के संबंध में कोई राशि वसूल की गई हो तो वह किस रसीद संख्या से, कैशबुक के किस पेज संख्या पर दर्ज की गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार कर ग्राम पंचायत भीम द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी विवादित पट्टा 3 दिनांक 20.05.2019 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी विवादित पट्टा 3 दिनांक 20.05.2019 निरस्त किया जाता है। तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद